

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2170
01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ब्रांडेड दवाओं का लिखा जाना

2170. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को पता है कि चिकित्सक सामान्यतः साल्ट या फॉर्मूला का नाम बताने के बजाय ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं, जिसके कारण देश में मरीजों के पास ब्रांडेड कंपनियों से महंगी दवाएं खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) सरकार द्वारा चिकित्सक का ब्रांडेड दवाओं के बजाय जेनेरिक दवाएं लिखना या साल्ट का नाम बताना सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के खंड 1.5 में प्रावधान है कि प्रत्येक चिकित्सक को दवाओं के जेनेरिक नाम स्पष्ट रूप से और खास तौर पर बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दवा का निर्धारण और प्रयोग तर्कसंगत हो। इसके अलावा, पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) द्वारा परिपत्र जारी कर सभी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को उपर्युक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सभी केंद्र सरकार के अस्पतालों को केवल जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश दिया है। इसी तरह के निर्देश सभी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के चिकित्सकों और आरोग्य केंद्रों को भी दवाओं का जेनेरिक नाम स्पष्ट रूप से लिखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अंतर्गत उपयुक्त राज्य चिकित्सा परिषदों या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नैतिकता एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी) को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में चिकित्सकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकें। साथ ही, राज्यों को भी यह सलाह दी गई है कि वे जन स्वास्थ्य सुविधाओं में जेनेरिक दवाओं का निर्धारण(प्रिसक्रिप्शन) सुनिश्चित करें और नियमित रूप से प्रिसक्रिप्शन का ऑडिट कराएं।
